संपादकीय

मैं रात की रेलगाड़ी से अगले दिन बजट की बहस में भाग लेने के लिऐ दिल्ली को रवाना हुआ। पंजाब से उसी ट्रेन में सवार हुए मेरे सहयात्री ने मुझसे एक प्रश्न किया। लगभग 50 किसान प्रतिदिन आत्महत्याएं कर रहे हैं क्या यह बजट इन आत्महत्याओं को रोक सकेगा ? मैंने उस समय उत्तर दिया और मेरा उत्तर आज भी यही है 'नहीं'।

सरकार का यह बजट आम रेवेन्यू और खर्च को संतुलित करने का लेखा जोखा होता है। यह कोई नीतिगत दस्तावेज नहीं है। केन्द्र के बजट में कृषि को धन आवंटन से महत्वपूर्ण राज्यों के बजट है। क्योंकि कृषि राज्य सूचि का विषय है। पार्लियामेंट में आधार कार्ड को कानूनी रूप देना तथा जनक्लयाण प्रोग्राम से इसको जोड़ना इसकी सफलता राज्य सरकारों पर निर्भर करती है क्योंकि उन्हीं को इसको लागू कराना है तथा भूमि रिकार्ड में किराये दारों के नाम जोडने हैं। इसलिए यह बजट ग्रामीण स्थिति में परिवर्तन का सूचक नहीं हो सकता। पैन–इंडिया नीति को पास करके पहले 100 जिलों में लागू किया गया है परन्तु उनमें से 80 जिले सूखे से प्रभावित हैं। इसलिए उसी हिसाब से बजट का ख्याल रखना होगा।

किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु रूपये के अवमूल्यन की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक सर्वोत्तम आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया है परन्तु उसमें भी किसानों की अपेक्षा उद्योग जगत की ओर ही पक्षपात पूर्ण झुकाव दिखाया गया है। इसके अनुसार लगभग 50 लाख करोड़ रूपये की 31 प्रतिशत कुल यूरिया की सब्सिडी पड़ौसी देशों में स्मगलिंग कर दी गई है। यूरिया की न्यूनतम सब्सिडी 650 रूपये प्रति बैग है। यदि एक दस टन ट्रक द्वारा 200 बैग भारत से बाहर चोरी से ले जाये जाते हैं जिसकी कुल सब्सिडी रू. 1,30,000/– होती है, तो उपरोक्त स्मगलिंग यूरिया को ले जाने हेतु एक ट्रक को 6 लाख फेरे करने होंगे। यदि इस सर्वे में सत्यता है तो एनएसए को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए तथा इतनी सरलता से बोर्डर क्रोस की घटनाओं को भारत की सुरक्षा में अभैद्य चूक मानकर इसकी रोकथाम करनी चाहिऐ।

कृषि कार्य पर 9 लाख करोड़ का ऋण का लक्ष्य भी भ्रामक है। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 लोन डिफाल्टर्स की सूची तैयार करे तो शायद एक भी वास्तविक किसान कर्जदार इस सूचि में न मिले। इसलिए वित्त मंत्री को बेहद पारदर्शिता के साथ अपने आंकडे प्रस्तुत करने चाहिऐ। जो किसान कृषि लोन में कम होने के लिए कम रहे थे उन्हें निराशा ही हाथ लगी परन्तु मेरी अधिक चिंता उन अधिकांश लोगों के प्रति है जो बजट प्रस्तावों को पढ़ते नहीं या फिर भूल जाते हैं। सामान्य रूप से आजादी के बाद से सभी बजट भाषणों में लगातार किसान की खुशहाली को प्राथमिकता देने की बात कही गई है परन्तु किसानों की खुशहाली तब तक एक दिव्यस्पन रहेगा जब तक इस ओर किसान सैक्टर को ऊपर उठाने के लिए सरकार एक ठोस निर्णय नहीं लेगी तथा किसान वर्ग अपनी एकता का परियच नहीं देगा।

माननीय वित्त मंत्री जी को प्रस्तुत किऐ गऐ बजट सुझाव

संदर्भ संः बी.के.ऐस./ऐ.ऐफ.ऐम.–3/2016/1/57/ दिनाँकः 4 जनवरी, 2016

प्रिय श्री जेतली जी,

भारत कृषक समाज एक गैर राजनैतिक, गैर सांप्रदायिक किसान संगठन है जो भारतीय किसानों की समृद्धि पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता की सिफारिश करता है।

बुरे मॉनसून और जिंसों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी ने किसानों की व्यथा को बढ़ा दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिऐ कई उपाय करने की आवश्यकता है। राजनैतिक कटुभावनाओं पर विचार करते हुऐ, यह विवेकपूर्ण होगा कि विवादास्पद मुद्दों से बचा जाऐ।

अस्थिर प्रकृति और व्यापार का मुकाबला करने के लिऐ भंडारण क्षमता का निर्माण और पारिवारिक कृषि और राष्ट्रीय कृषि में आत्मनिर्भरता लाने को वरीयता दी जानी चाहिऐ। वर्ष 2016 के पूर्व–बजट परामर्श के लिऐ हमारे सुझाव निम्न प्रकार से हैं :

1. वर्ष 2014–15 से अधिक मात्रा में कृषि में व्यय बढ़ाया जाऐ।
2. कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि अनुसंधान और विकास में 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया जाऐ।
3. कृषि विस्तार की सेवाऐं पुनः प्रचालित की जाऐं। 5 वर्ष की योजना की घोषणा की जाऐ जिसमें प्रत्येक 10 गांव के लिऐ एक कृषि स्नातक को एक 'एकसटेंशन वर्कर' के रूप में नियुक्त किया जाऐ, 60,000 नौकरियाँ दी जाऐं।
4. आंकडे इकट्ठे करने और मूल्यांकन करने के लिऐ 10 गुना अधिक फंड दिया जाऐ।
5. विद्यमान सिंचाई की सभी आधारभूत परियोजनाओं की मरम्मत और रख–रखाव के लिऐ, सभी नहरों को मिलाने तथा वर्तमान सिंचाई के क्षेत्रों हेतु नालियां आदि की व्यवस्था करने के लिऐ फंड दिया जाऐ। नई बाढ़ सिंचाई परियोजनाओं में पैसा न लगाया जाऐ।
6. सूखा–ग्रस्त और वर्षा आधारित क्षेत्रों के विकास के लिऐ 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अंतर्गत निर्धारित वॉटर–शैड प्रबंधन में निवेश 10 गुना बढ़ाया जाऐ।
7. 10 लाख छोटे–छोटे जल संचय जलाशयों के लिऐ फंड दिया जाए और सभी किसानों को भूमि नमी नापने के सेंसर वितरित करें।
8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में निर्धारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में निवेश 10 गुना बढ़ाया जाऐ और इसे आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने का दर्जा प्रदान किया जाऐ।
9. उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु प्रोत्साहन : यूरिया के मूल्य बढ़ाऐं और इसके साथ ही पी.ऐण्ड.के. उर्वरकों के मूल्य घटाऐं ताकि न तो किसानों पर और न ही सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े।
10. उर्वरकों का आयात विकेन्द्रीकृत करना।
11. लंबे समय तक कच्चे तेल के मूल्य सस्ते नहीं रहेंगे। उर्वरक पर आर्थिक सहायता कम करने के लिऐ और ईरान या कत्तर जैसे देशों में दीर्धकालिक गैस आपूर्ति का ठैका लिया जाऐ ताकि यूरिया का निर्माण किया जा सके। किसानों की सहकारी संस्थाओं जैसे ईफ्को और कृभको ने ओमान में यूरिया निर्माण के कारखाने सफलता पूर्वक लगा लिऐ हैं, उन्हें इस प्रकार के और एकक लगाने के लिऐ कहा जाऐ।
12. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जैसा ही गन्ना विकास बोर्ड बनाया जाऐ।

13. आय अर्जित करने के लिऐ 'कृषि–वन उत्पाद' पर बल दिया जाऐ।

14. पशुपालन के क्षेत्र में पैसा देते समय निवारक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाऐ, जैसा ऐन.डी.डी.बी. और अमूल द्वारा किया जा रहा है, न कि बिमारीयों का ईलाज करने पर।

15. गोशाला के लिऐ पैसा दिया जाऐ लेकिन उसमें शर्त रखें की उस बैड़े मैं कुल पशुओं की संख्या का 40 प्रतिशत भाग नर पशुओं का हो।

16. बिजली उत्पादन के लिऐ प्रोत्साहन की सीमा कम न करते हुऐ जैविक गैस एककों के लिऐ अधिक आर्थिक सहायता दी जाऐ।

17. सौर जल पम्पों पर प्रोत्साहन दिया जाऐ, चाहे उनकी क्षमता कितनी भी हो।

18. बिना किसी सीमा के 0 प्रतिशत शुल्क पर कृषि मशीनरी (टैक्ट्रर नहीं) के आयात की अनुमति दें।

19. सामूहिक कृषि मशीनरी और लीजिंग को अपनाने के लिऐ प्रोत्साहन राशि दें। सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संस्थाओं को कृषि मशीनरी की खरीद के लिऐ ब्याज मुक्त ऋण दें जिसका भुगतान तीन वर्षों में करना हो और यह संस्थाऐं किसानों को लीज पर अपनी सेवाऐं दें।

20. परम्परागत कृषि विकास योजना जैविक कृषि में सुधार लाती है। इसमें 10 गुना अधिक व्यय किया जाऐ और निजी कृषि क्षेत्र में विविध फसलें उगाने के लिऐ विशेष प्रोत्साहन दिया जाऐ।

21. खेतों में रसायनिक उपयोग के स्थान पर दूसरी उर्वरक का उपयोग करने हेतु प्रारम्भ में 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया जाऐ।

22. घटिया और नकली कीटनाशकों की जांच के लिऐ प्रयोगशाला स्थापित करने के लिऐ निधियां दी जाऐं। इसके अतिरिक्त, आयातित ताजे और प्रसंसाधित खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिऐ प्रयोगशाला लगाने के लिऐ भी पैसा दिया जाऐ।

23. कृषि जिंसों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध न हो। दीर्घकालिक कृषि आयात निर्यात नीति बनाई जाऐ। ताजे फल एवम् सब्जियों पर अधिकतम आयात शुल्क लगाया जाऐ।

24. किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देना चाहिऐ और मूल्य में कमी के भुगतान की पद्धति की शुरूआत की जाऐ, जैसा 'निति आयोग के एक प्रासंगिक दस्तावेज पर' भी उल्लेख किया गया है।

25. 'विपण हस्तक्षेप योजना' और 'मूल्य स्थाई करण निधि' में व्यय बढ़ाया जाऐ।

26. कृषि बाजार यार्ड 'मंडी' की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के लिऐ फंड दिया जाऐ और सभी वर्तमान कृषि मार्केट यार्डस में संपूर्ण आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाऐं।

27. शहरी नवीकरण या स्मार्ट सिटिज के लिऐ फंड देते समय शहरों में यह अनिवार्य किया जाऐ कि आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या आधारित किसान मार्केट्स के लिऐ स्थान दिया जाऐ।

28. किसान उत्पादक संस्थानों में निवेश की मात्रा दोगुनी की जाऐ।

29. किसानों को 2 लाख तक दिऐ जाने वाले ऋण की संख्या दोगुनी की जाऐ और उस पर केवल 1 प्रतिशत ब्याज लिया जाऐ। इन ऋण खातों को आधार कार्ड से लिंक किया जाए ताकि डुप्लिकेसी न हो पाए। छूट से कोई मदद नहीं हो रही है, इसलिऐ इसे छोड़ दिया जाऐ।

30. संस्थागत ऋण छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। इसमें सुधार के उपायों की घोषणा की जाऐ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिऐ गऐ कृषि ऋण की सी.ऐ.जी. से लेखा–परिक्षा कराने का आदेश दिया जाऐ।

31. भूमिहीन किसान ऋण योजना की तरह ही 'लाईसेंसड़ उत्पादक अधिनियम' पद्धति के माध्यम से पट्टे पर भूमि आंध्र–प्रदेश में और तेलांगना में दी जा रही है जो अच्छा संकेत है। एक ऐसा गारंटी फंड बनाया जाऐ जिससे ऋण

देने वाले बैंक उन लाईसेंस धारक किसानों को भी ऋण दे सकें चाहे वह एकल किसान परिवार हो या संयुक्त देयता समूह, कोई भी हो। इस प्रयोजन के लिऐ रू. 5,000 करोड़ अलग से आबंटित किऐ जाऐं।

32. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को अधिक पैसा दिया जाऐ, विशेषकर कृषि क्षेत्र हेतु मौसम की स्टीक भविष्यवानी में नवीनता लाने के लिऐ।

33. किसानों के जौखिम कम करने के लिऐ कदम उठाऐ जाऐं जिसके अंतर्गत सभी फस्लों के मौसम और मूल्य बीमा के रूप में सरकार 70 प्रतिशत प्रीमियम दे।

34. प्राकृतिक आपदा द्वारा किसानों को हानि पहुंचाना अब वार्षिक घटना बन चुकी है, हालांकि यह देश के अलग–अलग भागों में अलग–अलग समय पर आति है। अतः ऐस.डी.आर.ऐफ. / ऐन.डी.आर.ऐफ. के फंड में पर्याप्त वृद्धि की जाऐ।

कृषि संकट के समाधान के लिऐ *नियत* से अधिक एक *नीति* की आवश्यकता है जहां पर तैयार किऐ गऐ फाईनप्रिंट में किसानों की सर्वसम्मति हो। यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृप्या मुझसे संपर्क करें।

आदर सहित,

भवदीय,

(अजय वीर जाखड़)

श्री अरून जेतली,
माननीय वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001